छात्रा के परिजनों को जान से मारने की धमकी, तीन पर केस

हरिभूमि न्यूज. नारनौंद

कस्तुरबा गांधी बालिका माढ़ा में छात्राओं के साथ हुए शारीरिक शोषण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने इस मामले में दो महिला कुक व स्कूल के इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित लड़की के परिजन मोठ गांव में रहते हैं और कुछ लोगों ने इस मामले की शिकायत को वापिस लेने के लिए पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी तो पुलिस ने इस मामले में सुरेश लांबा सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय माढ़ा प्रकरण
- शुक्रवार को राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम करेगी पीड़ित परिजनों से मुलाकात

वहीं शुक्रवार को राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग की टीम पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेगी। पुलिस ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहिया करवा दी है। पिछले काफी समय से माढ़ा गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कुक छात्राओं के साथ गलत हरकत कर रही थी। छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल के इंचार्ज से की। लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं तो छात्राओं के परिजनों ने बाल संरक्षण आयोग दिल्ली की शरण ली। आयोग की टीम ने शनिवार को स्कूल में पहुंचकर जांच की जिसके बाद पुलिस ने कुक गीता व संजना के खिलाफ

मामला दर्ज कर लिया और स्कूल के इंचार्ज लोकेश शर्मा पर मामले में कोताही बरतने का मामला भी दर्ज किया गया था। लड़की के परिजनों का कहना है कि आरोपियों के पक्ष में मोठ निवासी सुरेश लांबा तीन अन्य युवकों के साथ बुधवार को पीड़ित के घर पहुंचे और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी। तो पुलिस ने पीड़ित की मां के बयान पर सुरेश लांबा व तीन अन्य युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मामला दर्ज कर लिया है : डीएसपी

इस संबंध में डीएसपी नरेन्द्र कादियान ने बताया कि सुरेश लांबा ने पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने सुरेश लांबा व तीन अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ित परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है।